

**भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

संख्या: 370 /ई-निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/नैनीताल/2019-20,

दिनांक: 25 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 003_Nainital_Katimi_Betalghat_2.98ha/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 02 अगस्त, 2018 के द्वारा जनपद के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 65560 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 32780 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 31.08.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 21 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 28.08.2018 को घोषित किया गया, जिसमें पाया गया कि त्रुटिवश 01 निविदादाता श्री दीपक सिंह की निविदा को अस्वीकृत किया गया। इस कार्यालय के आदेश संख्या 436, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री दीपक सिंह की निविदा को स्वीकृत करते हुए जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है0 हेतु तकनीकी निविदा का संशोधन परिणाम uktender.gov.in पर अपलोड किया गया। समिति द्वारा 02 निविदाकारों क्रमशः मै0 जी0एस0 मेहरा एण्ड सन्स फर्म होने एवं श्री इन्द्र सिंह का हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने एवं शपथ पत्र संलग्न न होने के कारण उनकी प्रथम चरण की ई-निविदा को अस्वीकृत करते हुए शेष 19 निविदाकारों की तकनीकी बोली को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई-निविदा बोली दिनांक 31.08.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है:-

तालिका- 1

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्रीमती रीता पन्त	47665/M171221154122603	65,560 टन
2	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	47690/M180526122922773	65,560 टन
3	श्री अखिल भण्डारी कॉन्ट्रैक्टर	47704/M171227120440153	65,560 टन
4	श्री अमन जोशी	47712/M180216120821630	65,560 टन
5	श्री गोपाल दत्त	47716/M180809153223237	65,560 टन
6	श्री सतीश नैनवाल	47719/M180526123525913	65,560 टन
7	श्री मनिन्दर सिंह	47758/M180509165142500	65,560 टन
8	श्री मनप्रीत सिंह आनन्द	47766/M180221133016940	65,560 टन
9	श्री जसविन्दर सिंह	47768/M180509142741203	65,560 टन
10	श्री मोहन सिंह बिष्ट	47778/M180113103813777	65,560 टन
11	श्री नवीन चन्द्र नैनवाल	47811/M171221155310897	65,560 टन
12	श्री श्याम सुन्दर सिंह मेहरा	47825/M180816121115277	65,560 टन
13	श्री हरीश सिंह मेहरा	47843/M171221114521393	65,560 टन
14	मै0 संजय सिंह रावत	47853/M180102164750107	65,560 टन
15	मै0 आनन्द सिंह ढैला	47862/M180102130255730	65,560 टन
16	श्री नीरज सिंह	47863/M171222133831253	65,560 टन
17	श्री खिवराज सिंह बिष्ट	47867/M171229160136893	65,560 टन
18	श्री अम्बा दत्त	47868/M171229121247243	65,560 टन
19	श्री दीपक सिंह	47886/M171228142053130	65,560 टन

जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है० पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 65,560 टन प्राप्त हुई।

जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है० पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 65,560 x 40.00 = **रु० 26,22,400.00 (रु० छब्बीस लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)** निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 438/ई०निवि०सहई०नीला०/परिणाम/नैनी०/भू०खनि०ई०/2018-19, दिनांक 01 सितम्बर, 18 के द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है० पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु० 26,22,400.00 (रु० छब्बीस लाख बाईस हजार चार सौ मात्र)** निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 003_Nainital_Katimi_Betalghat_2.98ha/ई०निवि०सह ई०नीला०/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 20.09.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार 18 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 513/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 24.09.18 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, परन्तु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही विभागीय वेबसाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण उक्त नीलामी की प्रक्रिया अग्रेत्तर दिनांक 28.09.18 को निर्धारित समयान्तर्गत 03.23.53PM से 03.38.05PM तक पुनः सम्पन्न हुई, जो विभागीय वेबसाइट eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र०सं०	बिडर मास्कड आई०डी०	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रु०
1	20181457211530	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.59 बजे	19825344.00
2	20181457111829	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.25 बजे	36726712.00
3	20181457113316	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.33 बजे	13649592.00
4	20181457113849	24 सितम्बर, 2018, अपराह्न 01.46 बजे	24047408.00
5	20181457114202	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.31 बजे	13348016.00
6	20181457111156	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.24 बजे	36713600.00
7	20181457114207	24 सितम्बर, 2018, सायं 03.10 बजे	27718768.00
8	20181457111714	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.34 बजे	13662704.00
9	20181457114209	24 सितम्बर, 2018, सायं 03.29 बजे	28780840.00
10	20181457111158	24 सितम्बर, 2018, सायं 02.39 बजे	26328896.00
11	20181457111731	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.27 बजे	46639384.00
12	20181457114241	24 सितम्बर, 2018, अपराह्न 01.55 बजे	24912800.00
13	20181457114039	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.23 बजे	31468800.00
14	20181457114247	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.38 बजे	98995600.00
15	20181457114162	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.34 बजे	13675816.00
16	20181457114229	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.25 बजे	45236400.00
17	20181457111751	24 सितम्बर, 2018, सायं 03.08 बजे	27666320.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 17 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 9,89,95,600.00 (रू0 नौ करोड नवासी लाख पिचानवें हजार छः सौ मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की माक्सड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2267/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2018-19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा की गई :-

क्र0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर माक्सड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181457114247/Satish Nainwal (M180526123525913)	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.38 बजे	98995600.00	H1
2	20181457111731/Mohan Singh Bisht (M180113103813777)	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.27 बजे	46639384.00	H2
3	20181457114229/Anand Singh Dhaila (M180102130255730)	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.25 बजे	45236400.00	H3
4	20181457111829/Sanjay Singh Rawat (M180102164750107)	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.25 बजे	36726712.00	H4
5	20181457111156/Deepak Singh (M171228142053130)	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.24 बजे	36713600.00	H5
6	20181457114039/Jasvinder Singh (M180509142741203)	28 सितम्बर, 2018, सायं 03.23 बजे	31468800.00	H6
7	20181457114209/Gopal Datt (M180809153223237)	24 सितम्बर, 2018, सायं 03.29 बजे	28780840.00	H7
8	20181457114207/Aman Joshi (M180216120821630)	24 सितम्बर, 2018, सायं 03.10 बजे	27718768.00	H8
9	20181457111751/Harish Singh Mehra (M180404164827877)	24 सितम्बर, 2018, सायं 03.08 बजे	27666320.00	H9
10	20181457111158/Khivraj Singh Bisht (M171229160136893)	24 सितम्बर, 2018, सायं 02.39 बजे	26328896.00	H10
11	20181457114241/Naveen Chandra Nainwal (M171221155310897)	24 सितम्बर, 2018, अपराह्न 01.55 बजे	24912800.00	H11
12	20181457113849/Maninder Singh (M180509165142500)	24 सितम्बर, 2018, अपराह्न 01.46 बजे	24047408.00	H12
13	20181457111530/Akhil Bhandari Contractor (M171227120440153)	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.59 बजे	19825344.00	H13
14	20181457114162/Shyam Sunder Singh Mehra (M180816121115277)	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.34 बजे	13675816.00	H14
15	20181457111714/Rita Pant (M171221154122603)	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.34 बजे	13662704.00	H15
16	20181457113316/Manpreet Singh Anand (M180221133016940)	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.33 बजे	13649592.00	H16
17	20181457114202/Ms Anil Kumar Agarwal (M180526122922773)	24 सितम्बर, 2018, प्रातः 11.31 बजे	13348016.00	H17

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2267/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2018-19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी

निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 H17 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2267/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2018-19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 द्वारा श्री सतीश नैनवाल (M180526123525913) को जनपद नैनीताल की तहसील बेटालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज क्षेत्र से कुल 65,560 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 9,89,95,600.00 (रू0 नौ करोड नवासी लाख पिचानवें हजार छः सौ मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 98,99,560.00 (रू0 अट्टानवें लाख निन्यानवें हजार पांच सौ साठ मात्र) एवं नियम- 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात रू0 98,99,560.00 (रू0 अट्टानवें लाख निन्यानवें हजार पांच सौ साठ मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री सतीश नैनवाल द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2267/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2018-19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराई गई है, जिसके उपरान्त इस कार्यालय के नोटिस संख्या 2616/ई0निवि0सह0 ई0नीला0/खनन/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 26 फरवरी, 2019, नोटिस संख्या 2824/ई0निवि0सह0ई0नीला0/खनन/ भू0खनि0ई0/2019-20, दिनांक 19 मार्च, 2019 व नोटिस संख्या 122/ई0निवि0सह0ई0नीला0/ खनन/भू0खनि0ई0/2019-20, दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के द्वारा उक्त 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके उपरान्त भी H1 बोलीदाता श्री सतीश नैनवाल द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई गई है।

उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री सतीश नैनवाल (M180526123525913) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28ख(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाना तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, अल्मोडा द्वारा जारी एफ0डी0आर0 संख्या -296354, दिनांक 18.08.2018, रू0 6,70,600.00 (रू0 छः लाख सत्तर हजार छः सौ मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री मोहन सिंह बिष्ट (M180113103813777) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरैसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र) एवं नियम- 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरैसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जाना है।

10- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3, 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त अगले स्तर हेतु पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त

प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।

4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या-5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 2267/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2018-19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा श्री मोहन सिंह बिष्ट को अधिकतम ई-नीलामी बोली रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) के सापेक्ष H2 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2267/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2018-19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के क्रम में श्री सतीश नैनवाल H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 9,89,95,600.00 (रू0 नौ करोड नवासी लाख पिचानवें हजार छः सौ मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 98,99,560.00 (रू0 अट्ठानवें लाख निन्यानवें हजार पांच सौ साठ मात्र) एवं नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 98,99,560.00 (रू0 अट्ठानवें लाख निन्यानवें हजार पांच सौ साठ मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री सतीश नैनवाल H1 निविदादाता को असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, अल्मोडा द्वारा जारी एफ0डी0आर0 संख्या -296354, दिनांक 18.08.2018, रू0 6,70,600.00 (रू0 छः लाख सत्तर हजार छः सौ मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री मोहन सिंह बिष्ट द्वारा बोली गयी उनकी उच्चतम बोली रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2267/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2018-19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के क्रम में श्री सतीश नैनवाल H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 9,89,95,600.00 (रू0 नौ करोड नवासी लाख पिचानवें हजार छः सौ मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 98,99,560.00 (रू0 अट्ठानवें लाख निन्यानवें हजार पांच सौ साठ मात्र) नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 98,99,560.00 (रू0 अट्ठानवें लाख निन्यानवें हजार पांच सौ साठ मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री सतीश नैनवाल H1 निविदादाता के रूप में असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री सतीश नैनवाल H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, अल्मोडा द्वारा जारी एफ0डी0आर0 संख्या -296354, दिनांक 18.08.2018, रू0 6,70,600.00 (रू0 छः लाख सत्तर हजार छः सौ मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28(क)(2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री मोहन सिंह बिष्ट (M180113103813777) द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) के सापेक्ष सफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तदनुसार श्री मोहन सिंह बिष्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एवं आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगे:-

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।

2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानुसार ई-नीलामी बोलीदाता H2 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र), 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 4,66,39,384.00 (रू0 चार करोड छियासठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 46,63,938.00 (रू0 छियालीस लाख तिरेसठ हजार नौ सौ अडतीस मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा नहीं किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी बैंक 'ऑफ बडौदा द्वारा जारी एफ0डी0आर0 संख्या-762678, दिनांक 14.08.2018, रू0 6,55,600.00 (रू0 छः लाख पचपन हजार छः सौ मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

अतः श्री मोहन सिंह बिष्ट पुत्र श्री करम सिंह, निवासी-ग्राम गोरखपुर मल्ला हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल H2 (M180113103813777) ई-नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्या: /ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/नैनीताल/2019-20 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल।
4. श्री सतीश नैनवाल पुत्र श्री चन्द्रदत्त नैनवाल, निवासी-ग्राम भतरौजखम च्यूनी, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।
5. श्री मोहन सिंह बिष्ट पुत्र श्री करम सिंह, निवासी-ग्राम गोरखपुर मल्ला हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक